इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 11 / प्र0अ0(त0स0–2) / जोन–1 / ग्रु0हा0 / 2015–16 दिनांक 23 / 08 / 2017

अनुमति–पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर समूह आवास मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री नरेश कुमार तुल्सियानी डायरेक्टर, शाश्वत इन्फ्रास्टेट प्रा0लि0 द्वारा नजूल साईट नं0–ए–10 सिविल स्टेशन, पार्ट पोर्शन आफ बंगला नं0–30 (पुराना एवं नया नं0–72 वर्तमान नं0–200 / 72 म्योर रोड) परगना व तहसील–सदर, जिला इलाहाबाद के जोन संख्या **(1)** के अर्न्तगत समूह आवास भवन के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल मानचित्र उपाध्यक्ष, इ0वि0प्रा0 के निर्गमन आदेश दिनांक 22–08–2017 के कम मं निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट / इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 14 वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक / रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी का होगा।
5. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
6. सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना आवश्यक होगी, जिसका संयोजन किचेन, बाथरूम मे अनिवार्य रूप से किया जाय।
7. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही आन्तरिक विकास व्यय के सापेक्ष जमा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।
8. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 का अक्षरशः पालन करना होगा।
9. राष्ट्रहित में परिसर की स्ट्रीट लाईट सोलर पैनल द्वारा प्रज्जवलित किया जाय।
10. **उपनिदेशक अग्निशमन सेवा इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक :** 2016 / 27600 / इला0 / इलाहाबाद / 261 / डीडी दिनांक 09.02.2017 में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरक्षः अनुपालन करना होगा। **(छायाप्रति संलग्न)**
11. **मुख्य अभियन्ता, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक :** 523 / STCE/17 दिनांक 31 जुलाई, 2017 में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरक्षः अनुपालन करना होगा। **(छायाप्रति संलग्न)**
12. **मुख्य अभियन्ता–विद्युत इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक:**8105 / मु0अ0(वि0) इ0क्षे0 / पी–2 (मानचित्र) दिनांक 7 जून, 2017 में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरक्षः अनुपालन करना होगा। **(छायाप्रति संलग्न)**
13. बहुमंजिले भवन का निर्माण स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाईन के अनुसार निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानको पर ही किया जाना आवश्यक है। निर्माण की गुणवत्ता एवं संरचना का सम्पूर्ण दायित्व निर्माण / विकासकर्ता का होगा।
14. प्रस्तुत समूह आवास मानचित्र कुल 42 आवासीय एवं 5 भूखण्डीय विकास + टाईप डिजाईन की स्वीकृति हेतु है, अतएव अतिरिक्त इकाइयों का निर्माण पूर्णतया निषिद्ध होगा।

–2